राजस्थान विधान सभा

षष्ठम् सत्र

कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी, 2011

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

I - श्री हेमाराम चौधरी, राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

(अ) राजस्व विभाग

1- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट/24 दिनांक 14.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/25 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा अविवादित सीमा ज्ञान के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियॉ ग्राम पंचायतों के स्थान पर राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी, जिनको प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के लिये नियुक्त किया गया है, को शक्तियॉ प्रदत्त की गई हैं ;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/26 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा नामान्तरकरण के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियॉ ग्राम पंचायतों के स्थान पर राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी, जिनको प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के लिये नियुक्त किया गया है, को शक्तियॉ प्रदत्त की गई हैं ;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/27 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, जिनको प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के लिये प्रभारी नियुक्त किया गया है, को शक्तियॉ प्रदत्त की गई हैं ;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/28 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के दौरान राज्य के समस्त जिलों में भूमि आवंटन के प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक उस ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगी, जिस पंचायत में आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि है ;

..2..

6- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/30 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सैट लगाने के लिये भूमि आवंटन) नियम, 1979 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, जिनको प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के लिये प्रभारी नियुक्त किया गया है, को शक्तियॉ प्रदत्त की गई हैं ;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/31 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य लोकोपयोगी भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) के लिय विभागीय आदेश क्रमांक 5(109)राज-ख/60 दिनांक 20.7.63 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, जिनको प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के लिये नियुक्त किया गया है, को शक्तियॉ प्रदत्त की गई हैं ;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/32 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन), नियम, 2007 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, जिनको प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के लिये नियुक्त किया गया है, को शक्तियॉ प्रदत्त की गई हैं ;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/33 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के दौरान राज्य के समस्त जिलों हेतु भूमि आवंटन के लिये आवेदन प्रस्तुत किये जाने संबंधी उदघोषणा के लिये निर्धारित अवधि को 15 दिन से 7 दिन किया गया है ;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/34 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन), नियम, 1970 के नियम-18 के अन्तर्गत तहसीलदार पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु शक्तियॉ प्रदत्त की गई हैं ;

11- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/35 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 की अवधि में भूमि के बंटवारे की तहसीलदार पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु शक्तियॉ प्रदत्त की गई हैं ;

12- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/36 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम संख्या-3,वर्ष 1955) की धारा-251 (1) एवं अधिसूचना क्रमांक 5(21)राज-4/80/34 दिनांक 4.9.82 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत रास्ते तथा अन्य निजी सुखाचार के अधिकार के क्रम में प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के दौरान तहसीलदार की शक्तियों का समस्त नायब तहसीलदार, जिनको प्रशासन गांवों की संग अभियान, 2010 के लिये नियुक्त किया गया है, को दी गई है ;

13- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/37 दिनांक 10.11.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-136 के अन्तर्गत गलतियों का शुद्धिकरण के प्रकरणों के निस्तारण हेतु उपखण्ड अधिकारियों पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं प्रदत्त शक्तियों का राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, जिनको प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के लिये नियुक्त किया गया है, को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु प्रदत्त की गई है ;

14- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/38 दिनांक 10.11.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-92 के अन्तर्गत आबादी विकास हेतु भूमि आरक्षित किये जाने की जिला कलक्टर पर अधिरोपित कर्तव्य एवं प्रदत्त शक्तियों का राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर्स जिनको प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के लिये नियुक्त किया गया है, को प्रदत्त की गई है ;

15- अधिसूचना संख्या :एफ.14(1)राज-6/2005-पार्ट-39 दिनांक 30.11.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम, 1963 के तहत राजकीय विभागों के लिये भूमि आवंटन की कार्यवाही दिनांक 31.3.2012 तक के लिये बढ़ाई गई है ;

16- अधिसूचना संख्या :एफ.6(9)राज-6/96-पार्ट/39-ए दिनांक 8.12.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-92 सपठित धारा-102-ए तथा 207 के अधीन पूर्व अधिसूचना दिनांक 2.6.09 को अधिक्रमित करते हुए राजकीय भूमि नगरीय निकायों के नाम हस्तान्तरित की जाती है, तो उक्त भूमि के विक्रय नियमन एवं आवंटन किये जाने पर राशि जयपुर विकास प्राधिकरण 20 प्रतिशत, यूआईटी 5 प्रतिशत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से 2.5 प्रतिशत, म्युनिसिपल कॉसिल से 2 प्रतिशत, म्युनिसिपल बोर्ड से कोई राशि नहीं ली जानी है ;

17- अधिसूचना संख्या : एफ.4(10)राज-6/2009/40 दिनांक 24.12.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

18- अधिसूचना संख्या : एफ.11(1)राज-6/2004/41 दिनांक 24.12.2010 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन, नियम, 1959 में संशोधन किया गया है;

19- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट/42 दिनांक 10.1.2011 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृषि भूमि में संपरिवर्तन), नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

20- अधिसूचना संख्या : एफ.9(52)राज-6/2010/2 दिनांक 20.1.2011 जिसके द्वारा जिन क्षेत्रों में भू-प्रबन्ध कार्य चल रहा है, वहां भू-प्रबन्ध अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग, भू-प्रबन्ध अधिकारी का पद रिक्त होने पर, सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा, जिन्हें आहरण वितरण अधिकारी की शक्तियॉ प्रदत्त हैं, भू-प्रबन्ध अधिकारी का पदस्थापन होने तक उनके क्षेत्राधिकार के भीतर किया जाएगा;

21- अधिसूचना संख्या : एफ.9(18)राज-6/2002/3 दिनांक 24.1.2011 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमाओं के संनिर्माण तथा पैट्रोल पम्प, चिकित्सा सुविधायें स्थापित किये जाने हेतु कृषि भूमि का आवंटन एवं नियमितीकरण), नियम, 1978 में संशोधन किया गया है ;

22- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज-6/2006/4 दिनांक 28.1.2011 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख), नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;

23- अधिसूचना संख्या : एफ.13(1)राज-6/2000/5 दिनांक 4.2.2011 जिसके द्वारा श्री जी.के.तिवारी, सदस्य, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिये साहूकार महापंजीयक नियुक्त किया गया है ; एवं

24- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट/6 दिनांक 11.2.2011 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन), नियम, 2007 में संशोधन किया गया है।

(ब) उपनिवेशन विभाग

1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)उप/2010 दिनांक 21.10.2010, जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 की अवधि में शिविर प्रभारियों को कलक्टर एवं भू-अभिलेख अधिकारी की शक्तियॉ प्रदत्त की गई हैं ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)उप/2010 दिनांक 21.10.2010, जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 की अवधि में शिविर प्रभारियों को उनके कार्यक्षेत्र में कार्य करने हेतु शक्तियॉ प्रदत्त की गई हैं ; एवं

3- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)उप/2010 दिनांक 21.10.2010, जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 की अवधि में उपनिवेशन तहसीलों में पदस्थापित नायब तहसीलदारों को तहसीलदार की शक्तियॉ प्रदत्त की गई हैं ;

II - श्री बृजकिशोर शर्मा, परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

<u>परिवहन विभाग</u>

1- अधिसूचना संख्या :एफ.7(66)परि/रूल्स/एचक्यू/94 दिनांक 28.1.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है ; एवं

2- अधिसूचना संख्या :एफ.7(198)परि/रूल्स/एचक्यू/2003/II दिनांक 11.2.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है।

<u>(ख) प्रतिवेदन</u>

श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे : -

I भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक के वित्त एवं विनियोग लेखे वर्ष 2009-2010 ; एवं

II भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल-स्थानीय निकाय) वर्ष 2006-2007.

<u>(ग) वार्षिक लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन</u>

श्री बृजकिशोर शर्मा, परिवहन मंत्री, राजस्थान सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा-33(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिये अंकेक्षण प्रतिवेदन व प्रमाण-पत्र सदन की मेज पर रखेंगे।

<u>3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन</u>

श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2010-2011 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1- सहायता एवं अकाल राहत, उद्योग, पंचायती राज, कृषि, कृषि विपणन, वित्त, कार्मिक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, आयुर्वेद, सिंचाई, वन, ऊर्जा, सहकारिता एवं मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग के वर्ष 2000 से 2005 तक के लम्बित आश्वासनों से संबंधित सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2010-2011 का द्वितीय प्रतिवेदन ; एवं

2- सैनिक कल्याण, संस्कृत शिक्षा, श्रम एवं नियोजन, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास, डेयरी विकास विभाग, नागरिक उड्डयन, पर्यटन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, निर्वाचन, आयोजना, आबकारी, प्रशासनिक सुधार, राजकीय उपक्रम, भू-जल, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, कारागार, सिंचित क्षेत्रीय विकास, सार्वजनिक निर्माण, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, संसदीय कार्य, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जन अभियोग निराकरण, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, आर्थिक एवं सांख्यिकी, यातायात, अल्प बचत, खादी एवं ग्रामोद्योग, जनजाति क्षेत्रीय विकास, परिवार कल्याण, स्टेट मोटर गैराज, राज्य बीमा, मतस्य, चिकित्सा (शिक्षा), मंत्रीमण्डल सचिवालय तथा कला एवं संस्कृति विभागों के वर्ष 2001 से 2005 तक के आश्वासनों से संबंधित सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2010-2011 का तृतीय प्रतिवेदन।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

1- श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा, राजकीय नेताजी सुभाष उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोतीकटला, जयपुर का भवन जीर्णशीर्ण होने एवं मरम्मत नहीं होने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

2- श्री अमराराम, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगें :-

I- राज्य में ढाणी एवं मजरों में बसे किसानों एवं बीपीएल परिवारों को घरेलू बिजली कनेक्शन देने बाबत् ;

II- दॉंतारामगढ़ उपखण्ड मुख्यालय में विद्युत वितरण निगम, अजमेर का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने बाबत् ; एवं

III - दॉंतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विद्यालयों को क्रमोन्नत करने एवं आवश्यकतानुसार विषय खोलने बाबत्।

3- श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगें :-

I- विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोलने बाबत्;

II- पंचायत समिति शेरगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (एनआरडीडब्ल्यूपी) भारत निर्माण के तहत पेयजल से अभावग्रस्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ढाणियों हेतु गुणवत्ता वाले उपलब्ध भू-जल के स्थान पर नलकूप खुदवाकर पेयजल से लाभान्वित करवाने बाबत् ; एवं

III - पंचायत समिति बालेसर में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (एनआरडीडब्ल्यूपी) भारत निर्माण के तहत पेयजल से अभावग्रस्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ढाणियों हेतु गुणवत्ता वाले उपलब्ध भू-जल के स्थान पर नलकूप खुदवाकर पेयजल से लाभान्वित करवाने बाबत् ।

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

डॉ. रघु शर्मा (वि.सं.-137), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2011 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद होगा :-

> "इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 17 फरवरी, 2011